



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 327] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941  
No. 327] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

---

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

विषय: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018

सं. एल-1/132/2013-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 अधिसूचित किये हैं। उक्त विनियमों में लिपिकीय त्रुटि हुई है और जिसे निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

(क) खण्ड 6.1 में, "49.70 एचजेड और अधिक" शब्दों को "49.7एचजेड से कम" पढ़ा जाएगा और "49.85 एचजेड और अधिक" शब्दों को "49.85एचजेड से कम" पढ़ा जाएगा।

2. उक्त संशोधन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के लागू होने की तारीख से प्रभावी समझे जाएंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./214/19]

---

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****ERRATUM**

New Delhi, the 5th September, 2019

**Sub: Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Fourth Amendment) Regulations, 2018.**

**No. L-1/132/2013-CERC.**— The Central Electricity Regulatory Commission has notified the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Fourth Amendment) Regulations, 2018. A clerical error has crept in said Regulations and is rectified as per the following.

- a. In clause 6.1, the words “49.70 Hz and above” shall be read as “below 49.7 Hz” and the words “49.85 Hz and above” shall be read as “below 49.85 Hz”

2. The above is deemed to have come into force with effect from the date as the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 has come into effect.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./214/19]